

शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा
जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.)
(आस्यं ०८६ "A" अक्षर)



मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदं ।
कीर्तिच दिक्षु वितनोति तनोति लक्ष्मी, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥

:: विवरणिका ::
2016-2017

जमुना प्रसाद वर्मा शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा
जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.)

Website : www.gjpvco.in

E-mail - gpgacc.bsp@gmail.com

:: i ÀàSý t à/àSýà ::

ÑtáÈà tÑààwùàvu

sà'á - ¥Sý :

1. tÑààwùàvuáà yátámuàp
2. yòná Sýl àwÉá/àSýà

sà'á - Ààç-

1. tÑààwùàvu tçqçkàçwàvçàwçu ytñl ¥wþ ySýà
2. Zàwçà Sý ; àwíuSýáàut
3. Eqònm yrbà àwíwàwùàvu Sý áàut
4. àwíwàwùàvu ; áoáàut Sý Zààwòáà
5. ; Áu yàtàÁu áàut
6. Zàwçà ÍààSý yrbà àwÉá/à
7. ÍààSý tçyàwòà¥p-
i . áàòáàSý àvuçáàSý táQý
r. sàÉmáu yáàSý tçg áàÉuàSýl ymáà SýçZààlm
ÍààSý yàwòà
8. sàçè rÑààSý SýáÉ/à yàwòà
9. ; Áàýáj m kààm / ; Áàýáj m kÁàkààm SýçZààlm yàwòà¥p
10. çpáay^a çpíàayÁà Sý Sý tçg áàÉuàSýl ymáà Sýç yàwòà¥p
11. Sýç Sý ymáà Sýç yàwòà¥p
12. çpáà ; àSýç yàwòà¥p
13. Eqònm áàut
14. tÑààwùàvuáà qÉáòáà¥p

15. qáÉj u qòà
16. àwùànJ yÑàumà Sýç
17. ¥Áà. ¥y. ¥y.
18. ¥Áà. yá. yá.
19. qòmSýàvu ¥wþwáj Áàavu, rSý-rSý
20. yàwSýv ð'p»p
21. ðwàð;u qÉáòá/à
22. ; ÁààayÁà íuwòná ¥wþZàà' 1 pçÉuv ràçp
23. ÉçSýç yàwòà'p
24. hçSýÁ (àwíàáv Sýl»páà)
25. çpáayí
26. yç Áà Sý ; áoSýáÉ
27. àwùàànèàSý áv¥ ; àj áÉ yáÑmà
28. tÑààwùàvu óáÈà v^aáàSýuç^a àuçáwáà~pSýàSý t
29. yátámuàSýl^a ààmáwòuà¥wþÉòçtu
30. Éç^apà yrbà qáÉáàut
31. tÑààwùàvuáà ð'pÁy yç á

sà'á - málà :

- áwáà~pçÉðSýáÉ
- | | |
|------------|---------------------------------|
| qáÉáà~p- 1 | ààmáwò yátámuàSý Éòçtu |
| qáÉáà~p- 2 | Éç ^a pà yrbà qáÉáàut |
| qáÉáà~p- 3 | ZààÁuàçSýçSýl yç á |

हमारा महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण महाविद्यालयों में से एक है। सन् 1944 में महाकौशल शिक्षण समिति द्वारा एस.बी.आर. महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई। यशस्वी दानदाता श्री शिव भगवान रामेश्वर लाल बजाज जी द्वारा महाविद्यालय हेतु भूमि दान दी गई थी। इसके संस्थापक प्राचार्य मूर्धन्य साहित्यकार श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र थे। सन् 1972 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसे अधिकृत किया गया और 1985 में विज्ञान संकाय को पृथक कर इसे शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ शासन ने इसे नया नाम शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय प्रदान किया है। महाविद्यालय में प्रारंभ से ही कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर पर एवं हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हो रहीं हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल इस क्षेत्र में शैक्षणिक मूल्यों की स्थापना और समाज के पिछड़े वर्गों तक ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालय निरन्तर सक्रिय रहा है। विगत 71 वर्षों से भी अधिक समय से यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और समाज के अनेक प्रतिष्ठित व उच्च पदस्थ विद्यार्थियों के अध्ययन का केन्द्र रहा है। संकायों का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा रोजगारोन्मुखी मार्गदर्शन आदि यहां के वैशिष्ट्य हैं। नैक द्वारा (NAAC) महाविद्यालय को 'A' रैंक प्रदान किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने लम्बे कीर्तिमान के साथ महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अमूल्य सहयोग से अपने संसाधनों का सही दिशा में अधिकतम विस्तार कर रहा है। आधुनिक तकनीकों एवं विधाओं के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन, व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, परिसर साक्षात्कार, शिक्षक-अभिभावक योजना, व्यावसायिक परीक्षा प्रकोष्ठ आदि महाविद्यालय की प्रत्यक्ष उपलब्धियां हैं।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) एवं रेडक्रास की सशक्त इकाईयां कार्यरत हैं। महाविद्यालय का क्रीड़ा-विभाग अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए विश्वव्यापी बदलाव में मद्देनजर पारम्परिक उच्च शिक्षा के साथ-साथ ज्ञान और कौशल का समावेश करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का व्यापक दृष्टिकोण महाविद्यालय ने अपनाया है। आने वाले दशकों में जिन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं और रोजगारोन्मुखता के दृष्टिकोण से संभावित विषयों का चयन किया गया है। जैसे - माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.) तथा एडऑन के साथ फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने लिए स्वयं का रोजगार भी निर्मित कर सकें ऐसी व्यवस्था पाठ्यक्रम के अंश रूप में अथवा पाठ्येत्तर गतिविधियों के रूप में स्थापित की गई है। हमारा प्रयास रहता है कि महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं में कौशल का विकास हो सके ताकि पारम्परिक उपाधि ग्रहण करने के साथ वे जीवनोपयोगी दक्षताओं में भी सक्षम हो सकें और उनमें उद्यमिता विकसित हो सके। इसका भी उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी का विकास अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित नहीं है अपितु महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर प्रत्येक कर्मचारी तक विद्यार्थियों के समुचित व्यक्तित्व विकास हेतु नैतिक मूल्य बोध, कैरियर निर्माण, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय संचेतना का विकास, स्वरोजगार तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि अन्यान्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तत्पर रहते हैं। महाविद्यालय के अनेक भूतपूर्व छात्र-छात्राएं समाज के प्रतिष्ठित पदों पर स्थापित हैं और देश-विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं।

हम, छात्रों, अभिभावकों और समस्त अकादमिक जगत से सम्बल और सुझाव के आकांक्षी हैं।

पुस्तकालय

- ☀ सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित करता है ।
- ☀ पुस्तकालय कार्य समय प्रतिदिन सुबह 10.30 से 4.30 बजे तक (रविवार एवं शासकीय अवकाश छोड़कर)
- ☀ उपलब्ध अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र ।
- ☀ छात्र/छात्राओं को प्रदायिक पुस्तक 14 दिन के लिए दी जाती है । स्नातक स्तर छात्र/छात्रा को एक बार में एक पुस्तक और स्नातकोत्तर स्तर की छात्र/छात्रा को एक बार में दो पुस्तकों की पात्रता है ।
- ☀ अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को बुक बैंक की पुस्तकें पूरे सत्र के लिए एवं निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान की जाती है ।
- ☀ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं ।
- ☀ शोध छात्र/छात्राएं पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं । उन्हें पुस्तकें इश्यु करवाने हेतु रू. 1000/- कॉशन मनी जमा करना अनिवार्य है ।
- ☀ वाचनालय कक्ष में उत्तम पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उपलब्ध है ।
- ☀ फोटोकापी सुविधा भी उपलब्ध है ।
- ☀ ई-लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है ।

अन्य सुविधाएँ -

- ☀ पिछले पांच वर्षों के प्रश्न-पत्र ।
- ☀ पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो कैसेट्स एवं सी.डी. के. संग्रह ।
- ☀ 150 की क्षमता वाला वाचनालय ।

खेल

- ☀ विशाल क्रीड़ा प्रांगण
- ☀ खेल एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए स्वतंत्र प्रशासनिक कक्ष ।
- ☀ विशाल सभागार सह टी.टी. खेल हॉल एवं जिमनेजियम ।
- ☀ खेल मैदान: खो-खो, कबड्डी, बालीबॉल, हॉकी, सह 200 मीटर दूर एवं मिनी स्टेडियम ।
- ☀ हॉकी उत्कृष्ट प्रदर्शन केन्द्र ।

महाविद्यालयीन समितियाँ

- ☀ विश्वविद्यालय अनुदान समिति
- ☀ क्रय समिति
- ☀ ग्रंथालय समिति
- ☀ छात्र सहायता समिति
- ☀ प्रवेश समिति
- ☀ जनभागीदारी समिति
- ☀ स्टॉफ कॉन्सिल
- ☀ आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति
- ☀ आन्तरिक मूल्यांकन समिति
- ☀ सम्मिलित निधि समिति
- ☀ महिला अधिकार संरक्षण एवं समस्या निवारण समिति
- ☀ रेडक्रास एवं स्वास्थ्य परीक्षण समिति
- ☀ प्लानिंग बोर्ड
- ☀ वेतन निर्धारण समिति
- ☀ भविष्य निधि समिति
- ☀ बी.पी.एल., बुक बैंक एवं छात्रवृत्ति योजना समिति
- ☀ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम समिति
- ☀ शिक्षक-अभिभावक समन्वय समिति
- ☀ विधि एवं न्यायालयीन प्रकरण समिति
- ☀ रोजगार प्रकोष्ठ समिति
- ☀ अपलेखन समिति
- ☀ छात्रसंघ समिति
- ☀ समय-सारिणी समिति
- ☀ प्रतियोगी परीक्षा समिति प्रकोष्ठ
- ☀ परिसर सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता समिति
- ☀ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना समिति
- ☀ अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति
- ☀ छात्रवृत्ति समिति
- ☀ सांस्कृतिक गतिविधि समिति
- ☀ साहित्यिक गतिविधि समिति
- ☀ प्रचार-प्रसार समिति
- ☀ प्रकाशन प्रकोष्ठ
- ☀ विद्यार्थी सुविधा केन्द्र समिति
- ☀ विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति

संस्था की विवरणिका

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा एवं उनके बौद्धिक, शैक्षिक, नैतिक दृष्टि से प्रतिवर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो भावी राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके ।

भाग - एक

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से यह महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर स्थापित हुआ था । इस महाविद्यालय का परिसर रायपुर रोड पर जरहाभाठा में है । वर्तमान में यह महाविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त है । 1990-91 से विज्ञान संकाय भी प्रारंभ हुआ । स्नातक स्तर पर विज्ञान में पढ़ाई की व्यवस्था है ।

(क) प्रवेश के मार्गदर्शक नियम -

1. महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या स्थानादि सुविधा के आधार पर वि.वि. द्वारा की जाती है ।
2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए स्थान आरक्षित होंगे ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाएँ मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है ।
4. महाविद्यालय में प्रवेश एक विशेषाधिकार है, जिसे निष्ठापूर्ण कार्यों एवं सदाचार द्वारा अर्जित किया जाना चाहिये ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी खुले द्वार की नीति समाप्त कर दी गई है । उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्तर पर प्रवेश निर्धारित किया जाता है । स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वाह्न / अंतिम में प्रवेश सीमा निर्धारित है ।

(ख) प्रवेश सीमा (स्नातक स्तर) :

बी.ए. भाग -1	450	बी.एस.सी. (भाग -1)	180
बी.ए. भाग -2	450	बी.एस.सी. (भाग-2)	180
बी.ए. भाग -3	450	बी.एस.सी. (भाग-3)	180
बी.काम. भाग - 1	160	बी.एस-सी. कम्प्यूटर	30
बी.काम. भाग - 2	160	बी.एस.सी. माइक्रोबायोलॉजी	30
बी.काम. भाग - 3	160	बी.जे.एम.सी. (I, II, III)	20
बी.बी.ए. भाग - 1	30		
बी.बी.ए. भाग - 2	30		
बी.बी.ए. भाग - 3	30		

रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम (स्ववित्तीय योजना) :

इस महाविद्यालय में सत्र 2006-07 से निम्नांकित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम स्ववित्तीय योजनांतर्गत किये जायेंगे -

- (अ) 1. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 30 सीट बिलासपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
2. पी.जी.डी.जे. कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय
- (ब) एडऑन कोर्सेस सभी संकायों/कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु ।
- (1) फंक्शनल इंग्लिश 30 सीट सॉफ्ट स्किल के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का अतिरिक्त ज्ञान कराया जाता है ।
- (2) टूरिज्म 30 सीट
- (3) टेलीविजन एवं वीडियो प्रोडक्शन 30 सीट

टीप :-

1. एडऑन कोर्स को नियमित पाठ्यक्रम के साथ किया जा सकता है ।
2. बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध ।
3. किसी भी संकाय के किसी भी कक्षा के नियमित विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं ।
4. प्रथम सत्र का सफलतापूर्वक अध्ययन पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, द्वितीय सत्र में डिप्लोमा तथा तृतीय सत्र पूर्ण करने पर एडवांस डिप्लोमा की पात्रता होगी ।

स्नातकोत्तर स्तर -

	पूर्व	अंतिम
अंग्रेजी साहित्य	40	40
हिन्दी साहित्य	50	50
राजनीति शास्त्र	50	50
अर्थशास्त्र	50	50
समाज शास्त्र	50	50
इतिहास	50	50
भूगोल (स्ववित्त घोषित)	40	40
एम.काम.	80	80
पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तीय)	50	50

(ग) महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम :-

- (1) महाविद्यालय में प्रवेश खुले द्वार की नीति के आधार पर न होकर मुख्यतः इस आधार पर दिया जायेगा कि विभिन्न संकायों में कितने छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है ।
 - (2) स्नातक प्रथम वर्ष में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने 10 + 2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो । यदि 10 + 2 की पूरक परीक्षा में छात्र बैठा हो, तो उसके प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
 - (3) पिछले वर्ष की महाविद्यालयीन परीक्षा में असफल छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्नातक स्तर पर यदि कोई संकाय की परीक्षा अनुत्तीर्ण होता है तथा वह दूसरे संकाय में प्रवेश चाहता है, तो उसे प्रवेश नियमानुसार स्थान रहने पर दिया जायेगा ।
- टीप :- एक विषय में पूरक प्राप्त छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जबकि स्थान उपलब्ध हो ।
- (4) विवरणिका में संलग्न छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश हेतु जो मार्गदर्शक नियम स्थापित किये गये हैं, उन्हीं के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

—00—

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी 2002

1. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र से निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निर्लंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा ।
2. किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा - 4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा ।
3. ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो, अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र. 27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य के नाम से तथा आदेशानुसार
टी.सी. यदु, अतिरिक्त सचिव

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर
वि.वि. का पत्र क्र. 1144/अका./पात्रता/94-95/24.08.94

विषय : महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी निर्देशों का सार संक्षेप ।

- | छात्र वर्ग द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षाएं | कक्षा जिनमें अर्हता के बाद प्रवेश की पात्रता है |
|--|--|
| (1) 11 + 3 प्रणाली त्रिवर्षीय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग | - स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष |
| (2) मा.शि.मंडल रायपुर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम | - स्नातक स्तर के बी.ए./बी.एस-सी./बी.काम. प्रथम वर्ष |
| (3) मा.शि.मण्डल रायपुर द्वारा कला/वाणिज्य संकाय के 10 + 2 बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण | - यदि छात्र चाहे तो विषम परिस्थिति में बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है । |
| (4) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली से 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण | - स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में |
| (5) छ.ग.स्थित वि.वि. 10+2+3 प्रणाली से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण | - स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष में डिप्लोमा/डिग्री कक्षाओं में भी जिसमें नियमानुसार पात्रता रखते हैं प्रवेश के पात्र होंगे । |
| (6) मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी | - स्नातक भाग 1 में प्रवेश की पात्रता । |

विशेष टीम -

वि.वि. के पत्र क्रमांक 1952/अका./पात्रता दिनांक 24.05.04 के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा मण्डल/अन्य वि.वि. के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।

कृपया अवगत हो कि उक्त संवर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेश देते समय शासन से, प्राप्त प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए तथा महाविद्यालय की उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य बोर्ड की उत्तीर्ण परीक्षा के छात्र तथा छ.ग. से बाहर के विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम अथवा अन्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय से जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय के किसी भी कक्षा में प्रवेश कृपया न दें, तथा किसी भी छात्र को दो विषयों में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छ.ग. के विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य स्थिति में जिन स्नातक स्तर की परीक्षाओं के छात्र यदि किसी प्रथम या द्वितीय भाग की परीक्षा छ.ग. में किसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर शेष भाग की परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करना चाहता है, तो उन्हें भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

भाग - दो

(1) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय समूह एवं संकाय

कला संकाय -

बी.ए. भाग - 1

परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के पाठ्यक्रम ।

अ) अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन

ब) निम्नलिखित विषयों में से कोई तीन विषय :

- | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. राजनीति शास्त्र | 2. अर्थशास्त्र | 3. हिन्दी/अंग्रेजी साहित्य |
| 4. समाज शास्त्र | 5. इतिहास/संस्कृत साहित्य | 6. भूगोल |

बी.ए. भाग - 2

बी.ए. पूर्व में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. प्रारंभिक में लिये गये थे ।

बी.ए. भाग - 3

बी.ए. अंतिम में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. पूर्व में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय के समूह के अंतर्गत हो ।

स्नातकोत्तर कक्षाएं -

कला निकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है -

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. अंग्रेजी साहित्य | 2. हिन्दी साहित्य | 3. राजनीति शास्त्र | 4. अर्थशास्त्र |
| 5. समाजशास्त्र | 6. इतिहास | 7. भूगोल (स्व. वित्तीय योजना) | |

वाणिज्य संकाय -

बी.काम. भाग - 1

- | | | |
|--------|--|----------------------------|
| खण्ड 1 | 1. हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन | |
| खण्ड 2 | 1. व्यावसायिक संचार | 2. व्यावसायिक नियमन संरचना |
| खण्ड 3 | 1. व्यावसायिक अर्थशास्त्र | 2. व्यावसायिक वातावरण |
| खण्ड 4 | 1. वित्तीय लेखांकन | 2. व्यावसायिक गणित |

बी.काम. भाग - 2

- | | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------|
| खण्ड 1 | 1. हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा | |
| खण्ड 2 | 1. व्यावसायिक सांख्यिकी | 2. उद्यमिता के मूल तत्व |
| खण्ड 3 | 1. प्रबंध के सिद्धांत | 2. कम्पनी अधिनियम |
| खण्ड 4 | 1. वित्तीय लेखांकन | 2. व्यावसायिक गणित |

बी.काम. भाग - 3

हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं केन्द्रीय अध्ययन मंडल, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय ।

प्रबन्ध विभाग : बी.बी.ए. - सभी अनिवार्य विषय

एम.काम. (पूर्व/अंतिम)

अनिवार्य विषयों एवं वैकल्पिक विषय के चयन हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा आबंटित विषय का चयन करना होगा ।

विज्ञान संकाय -

बी.एस-सी. (जीव विज्ञान)

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी. (गणित)

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, भौतिक शास्त्र, गणित एवं रसायन शास्त्र विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) स्ववित्तीय योजना

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी. (इलेक्ट्रॉनिक्स) स्ववित्तीय योजना

हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, भौतिक शास्त्र एवं गणित का अध्ययन करना होगा ।

बी.एस-सी. (माइक्रोबायोलॉजी) स्ववित्तीय योजना

छात्रों को हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन का अध्ययन करना होगा ।

पत्रकारिता - बी.जे.एम.सी. एवं पी.जी.डी.जे.

टीप - बी.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, एम.ए. भूगोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एड-आन कोर्स - फंक्शनल अंग्रेजी, टूरिज्म, टी.व्ही. एण्ड वीडियो प्रोडक्शन एवं डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म बी.जे.एम.जी. स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित है जिसका शुल्क अलग से निर्धारित है ।

(2) प्रवेश के आवश्यक नियम :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त के लिये इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरें | आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रयोग पत्रों की सत्य प्रतियां संलग्न करें |

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. पिछली परीक्षा की अंक सूची
4. केन्द्रीय मा.शि. बोर्ड अन्य वि.वि. से उत्तीर्ण छात्र को अप्रवजन प्रमाण पत्र एवं पात्रता पत्र
5. जन्मतिथि हेतु 10 वीं की अंक सूची
6. 12 वीं की अंकसूची

प्रवेश प्राप्त होने एवं सूचना पटल पर नाम आ जाने के पश्चात् ही उपयुक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें |

फीस जमा करने पर ही प्रवेश संपन्न माना जायेगा | फीस जमा करते समय प्रत्येक विद्यार्थी को दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ब्लैक एण्ड व्हाइट जिसमें पीछे विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हो, कार्यालय में देना होगा | उसे फीस कार्ड दिया जायेगा | फोटो का उपयोग परिचय पत्र बनाने के लिये होगा, जिसमें विद्यार्थी को प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर कराने होंगे |

सीमित स्थान होने के कारण बी.ए./बी.काम. में नगर के अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों को सामान्यतः प्रवेश नहीं दिया जायेगा |

किसी भी छात्र को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी | प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा |

(3) उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है | जिन छात्रों की उपस्थिति 15 नवंबर तक 50 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे | समय-समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क के साथ कर जानकारी लेनी चाहिए | उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है |

(4) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान :

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय की छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है | अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है :-

1. निलम्बन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना |

(5) अन्य सामान्य नियम :

1. महाविद्यालय के अधिकारीगण इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थीगण अनुशासन तथा सद्व्यवहार का आदर्श इस शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करेंगे तथा किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे ।
2. यदि किसी भी विद्यार्थी के विरुद्ध दुराचरण या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्य उसे महाविद्यालय से पृथक अथवा निलंबित कर सकते हैं । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा में बैठने से संचित भी कर सकते हैं ।
3. सुरक्षा निधि (काशन मनी) विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़ने पर व स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने पर वापसी योग्य है जिसके लिये विद्यार्थी को काशन मनी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है । केवल गुरुवार एवं शुक्रवार को ही काशन मनी लौटाई जायेगी ।
4. वे विद्यार्थी जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि इस महाविद्यालय के कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक टिकट-लिफाफा भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
5. पालक शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस पर विद्यार्थी पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता के लिए निर्भर है ।
6. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है तो प्राचार्य ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं तथा निलंबित भी कर सकते हैं ।
7. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी साइकिलें अपनी जवाबदारी पर रखें ।
8. प्राचार्य इस विवरणिका के किसी भी नियम अथवा उपनियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगे जो भी नये निर्देश प्रभावशाली होंगे वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से बंधनकारी होंगे ।
9. विवरणिका में संलग्न परिचय पत्र को पूरी तरह से भरकर आवेदन पत्र के साथ लौटाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा । प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को अपना पासपोर्ट साइज का ताला चित्र (2 कापी) देना अनिवार्य है ।
10. कोई भी विद्यार्थी रेगिंग करते पाया गया तो अनुशासन समिति के निर्णय पर संबंधित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

विशेष :-

1. इस विवरणिका में दिये गये नियमों में यदि विवाद हो तो उनका निर्णय प्राचार्य द्वारा दिया जायेगा । समस्त मामलों में प्राचार्य का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा जो सभी विद्यार्थियों को मान्य होगा ।
2. विवरणिका डाक से नहीं भेजी जायेगी ।

(6) प्रवेश शुल्क संबंधी विवरण

क्र.	अशासकीय शुल्क	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस-सी भाग-1	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस-सी भाग - 2	बी.ए./बी.कॉम. बी.बी.ए./बी.एस-सी भाग - 3	एम.ए. पूर्व	एम.ए. अंतिम
1.	छात्र संघ प्रवेश शुल्क	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2.	निर्धन छात्र कल्याण	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3.	परिचय पत्र	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4.	सायकल स्टैण्ड	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.	सम्मिलित निधि	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
6.	स्नेह सम्मेलन	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7.	चिकित्सा शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
8.	कॉमन रुम	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
9.	विकास शुल्क	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
10.	रेडक्रास शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
11.	नेक शुल्क	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
12.	वाचनलालय शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
13.	योजना शुल्क	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
14.	कॉशन मनी	100	-	-	100.00	-
15.	मूल्यांकन शुल्क	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16.	विभागीय पुस्तकालय	-	-	-	15.00	15.00
17.	जनभागीदारी शुल्क	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
18.	नामांकन शुल्क	100.00	-	-	-	-
19.	छात्र कल्याण	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
20.	ग्रंथालय	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
21.	शारीरिक कल्याण	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
22.	युवा गतिविधि	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
23.	वि.वि.छात्र संघ यूनियन	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	योग	1263.00	1063.00	1063.00	1178.00	1078.00

शासकीय शुल्क

1.	शिक्षण शुल्क	115.00	115.00	115.00	126.00	126.00
2.	प्रायोगिक शुल्क (बी.एस-सी.) भाग- 1, 2, 3 एवं एम.ए. भूगोल	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3.	प्रवेश शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
4.	लेखन सामग्री शुल्क	03.00	03.00	03.00	03.00	03.00
5.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	योग -	151.00	151.00	151.00	162.00	162.00

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित विषयों के लिये निर्धारित शुल्क :

क्र.	विषय	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-1	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-2	बी.एस-सी./ बी.बी.ए. भाग-3
1.	माइक्रोबायोलॉजी	8000.00	8000.00	8000.00
2.	कम्प्यूटर साईस	8000.00	8000.00	8000.00
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स	5000.00	5000.00	5000.00
4.	बी.बी.ए.	10000.00	10000.00	10000.00

क्र.	विषय	शुल्क विवरण वार्षिक	एम.ए. पूर्व भूगोल	एम.ए. अंतिम भूगोल
1.	पी.जी.डी.सी.ए.	10000.00	-	-
2.	भूगोल	-	3000.00	3000.00
3.	पी.जी.डिप्लोमा इन जर्नलिज्म / बी.जे.एम.सी.	-	6000.00	6000.00

नोट - भूगोल विषय हेतु राज्य के बाहर से आने वाले छात्र / छात्राओं को 5000.00 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

कैरियर ओरिएन्टेड एड ऑन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	सर्टिफिकेट	डिप्लोमा	एडवांस डिप्लोमा
1.	फंक्शनल अंग्रेजी	3000.00	3500.00	4000.00
2.	टूरिज्म	5000.00	6000.00	7000.00
3.	टेलीविजन एण्ड विडियो प्रोडक्शन	5000.00	6000.00	8000.00

टीप - समस्त रसीद सुरक्षित रखें, आवश्यकता पड़ने पर मांगी जा सकती है। वापस करने योग्य राशि लेने हेतु संबंधित रसीद जमा करना अनिवार्य होगा।

(7) शुल्क में सुविधायें :-

शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार ही शुल्क सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(अ) निर्धन के लिए शुल्क मुक्ति -

सीमित संख्या में पूर्ण शुल्क मुक्ति अथवा अर्ध शिक्षण शुल्क मुक्ति वास्तव में निर्धन एवं योग्य छात्रों

को ही प्राप्त हो सकती है | जिनको इस प्रकार की सुविधायें मिलेगी, उन्हें प्राचार्य महोदय को अपनी मेधा एवं अध्यव्यवसाय और विशुद्ध चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा |

(ब) भारतीय सैनिक कर्मचारियों की संतान को प्राप्त शुल्क सुविधा |

निम्नलिखित कोटि के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे -

1. (Under Graduate) पूर्व स्नातक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले वे छात्र जो जे.सी.ओ., एन.सी.ओ. तथा भारतीय सेना की तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवारत् कर्मचारियों के पुत्र हो |
2. छत्तीसगढ़ में सामान्यतः निवास करने वाले ऐसे कर्मचारियों के संतानों को भी उपर्युक्त सुविधा प्राप्त होगी, जो या तो देश की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग कर चुके हैं, या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं | ऐसे कर्मचारियों की संतान को उपरोक्त सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वह सेकेण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेंगे, उपर्युक्त दोनों कोटि के छात्रों को शुल्क सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वे जिलाध्यक्ष को उपरोक्त संबंध में पूर्ण विवरण देते हुये अपने पिता की सेवा सेवाश्रेणी विषयक प्रमाणित आवेदन रिकार्ड प्रस्तुत करेंगे |

(8) भाई-बहन के कारण सुविधा :-

यदि दो या अधिक भाई-बहन इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं तो उनमें से बड़े को संपूर्ण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा |

(9) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधा :-

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे | यह मुक्ति उन्हीं छात्रों को प्रदान हो सकेगी जो अपने आवेदन पत्रों के साथ विज्ञप्त अधिकारी या तहसीलदार के पद से कम न हो ऐसे किसी राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह स्वीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है |

(10) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :-

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से शासकीय कर्मचारियों की अध्ययनरत् संतानों को शिक्षण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है -

- अ) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौथी वेतनमान 1800 रु. तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संतानों को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाये | जिन द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों ने चौथी वेतनमान स्वीकार नहीं किया है उनके संबंध में शिक्षण शुल्क में छूट पूर्व आदेशों के अनुसार ही रहेगी |
- ब) प्रथम उपाधि स्तर तक समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त तथा वर्ग के भृत्य शासकीय सेवक की संतानों को अतकनीकी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित शुल्क में पूरी छूट दी जायेगी |

टीप - शुल्क में छूट की सुविधा निम्न को शर्तों पर प्रदान की जायेगी |

1. यदि किसी शिक्षण संस्था में किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनार्थ शुल्क लिया जाता है जैसे पुस्तकालय, क्रीड़ा शुल्क आदि तो वह सुविधा ऐसे शुल्क पर लागू नहीं होगी |

2. शुल्क में छूट की सुविधा अभिभावक द्वारा कार्यालय प्रमुख के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान की जायेगी ।
3. यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो यह सुविधा स्थगित रखी जायेगी तथा अगले वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही यह सुविधा प्रदान की जा सकती है ।
4. यदि छात्र अनुशासनहीन बर्ताव, हड़ताल आदि में भाग लेता है तो यह सुविधा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

(11) कृषकों की संतानों को सुविधा :-

कृषक की संतानों को जिलाध्यक्ष द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अध्ययन शुल्क में एक तिहाई की छूट दी जावेगी ।

टीप - महाविद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद अवधान राशि नियमानुसार वापस की जायेगी ।

(12) छात्राओं को विशेष सुविधा :-

राज्य शासन के आदेशानुसार जुलाई 2003 के शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर समस्त छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन के लिये सत्र का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क माफ किया जायेगा, लेकिन अन्य शुल्क देय होगा ।

छात्रवृत्ति संबंधी :

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र छात्रों को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा प्रमुख के माध्यम से संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजा जाना चाहिये ।
2. स्नातक शिष्यावृत्तियां (छात्रवृत्तियां), उच्च शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है ।
3. सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र महाविद्यालय से आयुक्त, उच्च शिक्षा को निर्धारित तिथि पर भेजा जाना चाहिये ।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे ।
5. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएगी ।
6. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, आय तथा जाति प्रमाण पत्र की प्रतियां 15 सितम्बर के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना (नियम 2005)
8. बी.पी.एल. छात्र कल्याण (नियम 2005)

(उपर्युक्त दोनों योजनाओं 7 एवं 8 का लाभ गरीबी कल्याण रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलेगा)

छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रों से अपेक्षित कार्यवाही :

1. छात्रों को उन्हें कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है इस संबंध में विवरणिका से स्वयं जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये अथवा प्रभारी प्राध्यापक से छात्रवृत्ति की जानकारी लेना चाहिये ।
2. आवेदन पत्र निर्धारित समय से एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना चाहिये । इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रगति विवरण सही-सही भरकर अंकसूची के साथ समय-समय पर कार्यालय में जमा करें ताकि कार्यालय उन्हें समय पर संचालनालय भेज सके ।
3. समय-समय पर प्रभारी से छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु उनके द्वारा नियम समय पर संपर्क स्थापित करते रहना चाहिये ।
4. कार्यालय से फार्म जमा करने के पूर्व छात्र-छात्राएं देखें कि -
 - क. आवेदन पत्र में संपूर्ण कालम सही भरे गये हैं या नहीं ।
 - ख. सही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है या नहीं ।
 - ग. आवेदन के हस्ताक्षर अथवा फार्म जमा करने की तिथि अंतिम है या नहीं ।
 - घ. आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची, आचरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र, छात्रावासी (यदि हो) होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है या नहीं ।
 - ङ. पूर्व में छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसका उल्लेख किया या नहीं ।
 - च. न्यूनतम शर्त की पूर्ति होती है अथवा नहीं, जैसे अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण की है या नहीं, निर्धारित अंक प्राप्त किये हैं या नहीं, माता-पिता की आय निर्धारित सीमा में है या नहीं ।

(13) उपस्थिति संबंधी नियम :-

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय/एन.सी.सी./एन.एस.एस. में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता है ।

समय-समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा । तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर प्राप्त करते रहना चाहिये । उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है । जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 15 नवम्बर तथा 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवेदन विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे ।

(14) महाविद्यालयीन परीक्षाएं :-

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली आंतरिक परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है । प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

(15) परिचय पत्र:-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के अंतर्दर ही परिचय पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र के बिना विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा। परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाकर प्राप्त प्रमाण के आधार पर रू. 10/- जमा करने पर दिया जायेगा। महाविद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को परिचय पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करना होगा एवं टी.सी.सी.सी. शुल्क 5.00 रू. जमा करना होगा तथा अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(16) विद्यार्थी सहायता कोष :-

यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार इस कोष की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य निर्धन एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक आदि के रूप में लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देना है।

(17) एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :-

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक पुरुष इकाई व एक महिला इकाई कार्यरत है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियों और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते हैं। 240 घंटे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिक उपचार आदि कार्य करने होते हैं। वार्षिक शिविर भी आयोजित किये जाते हैं जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है।

(18) एन.सी.सी. :-

महाविद्यालय में एन.सी.सी. 1956 से संचालित है एवं बिलासपुर शहर के एन.सी.सी. इकाइयों में सबसे पुरानी इकाई है। महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित है जो कि बटालियन बिलासपुर द्वारा नियंत्रित है।

(19) पुस्तकालय, वाचनालय एवं बुक बैंक :-

यू.जी.सी. एवं शासन की सहायता से निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक का गठन किया गया है जिससे विद्यार्थियों को संपूर्ण सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती हैं।

नोट - ऐसे छात्र जो बुक बैंक पुस्तकें लेने की पात्रता रखते हैं विवरणिका में संलग्न फार्म भरकर पुस्तकालय अधिकारी को पर्याप्त सहित देंगे। पुस्तकालय के उपयोग के लिए परिचय पत्र का लाना आवश्यक है। जुलाई माह में फीस कार्ड और प्रवेश कार्ड भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(20) साइकिल स्टैण्ड :-

महाविद्यालय में साइकल स्टैण्ड की व्यवस्था है । प्रत्येक विद्यार्थी से पूरे सत्र के लिए 100.00 रूपये स्टैण्ड के रख रखाव और संचालन हेतु लिया जाता है । सभी साइकिलें स्टैण्ड पर ही रखी जायेगी । कोई भी विद्यार्थी बरामदे या कमरों, पोर्च आदि में साइकल रखने पर दण्ड का भागी होगा । अन्यत्र साइकल रखने पर अगर गुम होती है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(21) स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा । यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा नियत तिथि को होगी ।

(22) अनुशासन व्यवस्था एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड :-

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के लिए एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड रहेगा ।

(23) रेडक्रॉस सोसायटी :-

महाविद्यालय में एक पुरुष और एक महिला इकाई कार्यरत है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा कार्य की प्रेरणा दी जाती है और रक्तदान शिविर आयोजित किये जाते हैं ।

(24) खेल विभाग :-

- | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| 1. फुटबाल | 2. हॉकी | 3. बालीबाल | 4. बैडमिंटन |
| 5. टेबल टेनिस | 6. क्रिकेट | 7. कबड्डी | 8. शतरंज |
| 9. एथलेटिक्स | 10. बेसबाल | 11. हैण्डबाल | 12. रेसलिंग |

(25) छात्रसंघ :-

शासन के मान्य सिद्धांतों अनुरूप 2015-16 में जिस छात्रसंघ का गठन किया गया वह निम्नानुसार है-

- | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1. गौरी गुप्ता | - अध्यक्ष | 2. शीतल सिंघाड़े | - उपाध्यक्ष |
| 3. विजय कुमार कोशले | - सचिव | 4. रामबहादुर | - सह-सचिव |

(26) सूचना का अधिकार :-

प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सूचना के अधिकार का प्रावधान है । नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है । समयानुसार विद्यार्थी इसका प्रयोग कर सकते हैं ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा |

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये |
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा |
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा |
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा |
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है | विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा | विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा |

अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी |
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनको स्वच्छ रखेगा |
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा |
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |

5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा । जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोशणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

EáPa yrbā qáEáIaut

tNāawūavu qáEYĒ tĒEáPa EáSĳÁcSĳ ávuçáwIáx qáEáIaut :

1. uN áwIáx áwIwáwūavu ; áE yIĥ- tNāawūavu Sĳ qáEYĒ tĒEáPa SĳqĤhā ytaĤm SĳEÁcSĳ ávuçDnāaqm áSĳuā ká EŃā Nā
2. cy qáEáIaut tĤáááŃm ; ÁáÁĤā áwIwáwūavu ; nwa tNāawūavu qáEYĒ ; áE yIĥ- 2Ĥááwáw qáEYĒ tĤNáçwáwā áSĳyā i 1Ĥáá Sĳ ávuçvāááNáçĤn qáEYĒ Sĳ rāŃĒ Sĳl i 1Ĥáá ; áĤSĳ ávuçuŃ qáEáIaut qĤ vĤā tĤááNáŃáçāā n
3. EáPa tĤááEÁáavāĤm ; nw ÇĤáĤyçųSĳ luwŃáE ; nwa SĳáueŃááatv Nāçāā :
 - i . ŃáEáEáSĳ ; ai am kųçj áĤĤqŃĤĳ áĤāā , j áĤĤ táEÁā , qá1Ĥáā ; nwa SĳáçEÁV»ĤÁĤāā n
 - r . táĤááSĳ ; ai am kųçtáĤááSĳ SĳvĤā qŃĤĳ áĤāā , 2ĤĤáā , ; qtaāĤm SĳEÁā , »ĤĤáā ā
 - y . ; Ńvā ; qtaā kųç ; yçu j áĤSĳvçyÁáĤāā , ; yçu luwŃáE SĳEÁā ; nwa ųĳyá SĳEÁcSĳ ávuçrÁu SĳEÁā n
 - Á . yŃqāáųáĤ yánuáĤuā qáve2ĤááĤ ; nwa rāŃĒā ; ytaākSĳm3wáĤSĳ ōáEā ; áĤáuáĤm m3wáĤSĳ ōáEā ; áĤáuáĤm luwŃáE kųçŃĤĤvĤĤj áĤāā , j áĤĤāā-áj ŃvāĤāā ; ááĤ n
4. ųĳyá áSĳyā i 1Ĥáá Sĳl káĤáSĳEá ZāĤm NāçáçĒ ; nwa ųĳyá áSĳyā i 1Ĥáá Sĳā ; wvāSĳĤá SĳEÁcĒĒ tNāawūavu Sĳ qĤĤj áue Sĳāç ; nwa áwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ SĳāçSĳāçEá áwūānĤ , áĤáŌáSĳ , SĳĤĳ áĤā , ; ássāwSĳ uā SĳāçEÁááááEáSĳ ; qÁāā áĤáSĳáum ÁkEáSĳEá ySĳçāā n ųĳyá áĤáSĳáum SĳāçqĤĤj áuetNāawūavu ; áE SĳvqāĤ áwIwáwūavuáĤĤĤááųm qĤĤĤĤEuv rāĤĤSĳāçyáçĤĤā cy tĤĤj áE wáEĤĤáĤáŌáSĳ , ÁāçwáEĤĤáwūānĤ ; áE Áāç ; ássāwSĳyÁĤu Sĳ Ūyç tĤZāaj áueSĳvqāĤ ōáEā tÁāāĤm áSĳuā káueĤĤn cy ŃmāçĤĤĤĤEuv rāĤĤSĳl áwIááx rEĤSĳ ; áŃĤ Sĳl káueĤĤā n rEĤSĳ Sĳl yĳ Áāā , yĳ Áāā rāĤĤ tĤSĳĤáāĤm wáEĤĤmĤ ZāáúāçSĳ ōáEā ysā yÁĤuáĤSĳāçÁā káueĤĤā n uŃ wáEĤĤmĤ qĤÁúāçSĳ tĤu ZāāĤĤĤ SĳŃvāuáçĤĤn
5. ZāāĤĤĤEuv rāĤĤZáSĳEĤá Sĳl 2ĤĤáááĤá SĳEĤāā ; áE ; qĤāā ; ÁááĤyā tNāawūavu Sĳ Zāaj áueáwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ ; áwIųSĳmáĤyáE SĳáueŃáá SĳE ySĳçĤĤn
6. qĤĤĤĤEuv rāĤĤSĳl ; ÁááĤyā qĒ tNāawūavu Sĳ qĤĤj áueáwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ ; áwIųSĳmáĤyáE SĳáueŃáá SĳE ySĳçĤĤn Áāçā çáuçkáĤáçĒ yĤĤm 2ĤĤá SĳāçáĤEÁááĤyáE ÁĤĤáÁuā ká ySĳçāā n
 1. tNāawūavu yçųSĳ uā ÁāçwxEáSĳ ávuçáĤáĤSĳyáĤā n
 2. Eá3u Sĳ áSĳyā sá tNāawūavu uā/ųwáwIwáwūavu tĤÁāçwxEmSĳ qĤĤĤā qĒ EáSĳĤ
 3. Áāçā 2ĤĤá SĳāçÁĤĤSĳ áwŪy- ; çāv SĳEÁcSĳā ; áoSĳEĤ Nāçāā n uŃ ; çāv tNāawūavu Sĳ Zāaj áueáwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ SĳāçyĤĤāçm Nāçāā n
 4. tNāawūavu Sĳ Zāaj áueáwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ ; áE ZāāĤĤĤEuv rāĤĤSĳl ųĳyá áSĳyā sá i 1Ĥáá Sĳāç áwĤmāē káĤj yĤĤm SĳEÁcSĳā çĤáE ; áoSĳEĤ Nāçāç ; áE cy ŃmāE°j ĤmĒ yçĤwáSĳāĤ vĤāā ; áwIųSĳ ÁáŃáĤ Nāçāā vĤSĳĤá Sĳl áçEáSĳáueŃáá Sĳl yĳ Áāā Eá3u ŃááųĤá SĳāçÁĤāā ; áĤáwáueŃáçāā n
 5. SĳāçEá Áuáúavu (E°j Áuáúavu Sĳāç2ĤĤSĳE) cy ZáSĳEĤ Sĳl SĳáueŃáá tĤçĤĤj áueSĳvqāĤ Sĳl yŃĤāĤ Sĳ áĤÁā ŃĤmŌāçĤ ÁáŃáĤSĳE ySĳçāā n
 6. uāÁ EáPa Sĳā SĳĤu áSĳyā çáve2ĤĤá ; nwa ; 2ĤĤá ōáEā áSĳuā áuā ŃemāçųųçĤuáŌy Sĳāççāvų Sĳl yĤĤáEáSĳEÁc Sĳā ; áoSĳEĤ Zāaj áueáwIwáwūavu Sĳ SĳvqāĤ SĳāçNāçāā n

çĤáSĳl áĤáSĳáum qĒ çāvų SĳāçÁāçā ŃuáŌy SĳāçáŃĒEáym tĤvĤāā ; áE ųÁy ; áçE ; áE . ÁkEáSĳEwáĤāā ; áwIųSĳ Nāçāān

महाविद्यालय द्वारा लागू किये गये विशिष्ट कार्यक्रम

स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम :

महाविद्यालय ने भारतीय रेडक्रास सोसायटी की सदस्यता ग्रहण की है । 110 अलग-अलग विभागों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं । नेत्र परीक्षण, रक्त समूह की जांच, हीमोग्लोबिन के लिये रक्त परीक्षण, दंत चिकित्सा, सामान्य स्वास्थ्य और स्त्री रोग से संबंधित शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किये जाते हैं । कैंसर एवं एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये जाते हैं ।

व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्थानन प्रकोष्ठ :

छात्रों को रोजगार की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी देना, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार की ओर उन्मुख करना इस प्रकोष्ठ के मुख्य उद्देश्य है । इस प्रकोष्ठ द्वारा छात्रों के मार्गदर्शन के लिए कई प्रकार के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं । वाचनालय कक्ष में विशेष सूचना पटल लगाये जाते हैं, जिनमें रोजगार संबंधी, उन्नत पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी सूचनाएं लगाई जाती हैं । कैम्पस सेलेक्शन (परिसर चयन) के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को अनेक अच्छे अवसर प्राप्त हुये हैं ।

शिक्षक-अभिभावक योजना :

महाविद्यालय की छात्र/छात्राओं को 30-30 के समूह में विभाजित किया गया है । प्रत्येक शिक्षक ऐसे ही 30 छात्र/छात्राओं के समूह का शिक्षक अभिभावक होता है । ये शिक्षक एक मित्र, दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक की भूमिका संपादित करने का प्रयास करते हैं । योजना ने शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बेहतर संबंधों को विकसित करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है इससे छात्र-छात्राओं के लिये सुरक्षित सौहार्द्रपूर्ण वातावरण निर्मित हुआ है । यह योजना विद्यार्थियों से सम्प्रेषण एवं उनको जानकारी प्राप्त करने के लिये उपयुक्त मंच है ।

अभिव्यक्ति अधिकार तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :

छात्र/छात्राओं अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं सुझावों को निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने के लिये शिकायत पेटियों की व्यवस्था है । विद्यार्थी समस्या-निवारण प्रकोष्ठ समिति इन शिकायतों का यथासंभव निवारण करती है ।

जेण्डर प्रकोष्ठ :

एक नवप्रवर्तन के तौर पर जेण्डर प्रकोष्ठ की स्थापना के निम्नांकित उद्देश्य हैं -

1. विद्यार्थियों को महिला अस्मिता के प्रति संवेदनशील बनाना ।
2. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय में एवं महाविद्यालय से बाहर गतिविधियां आयोजित करना ।
3. छात्राओं में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें नकारात्मक सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए साहस प्रदान करना ।
4. संबंधित समाचार पत्रों, पुस्तकों, एवं जर्नल्स और दृश्य-श्रव्य सामग्री से परिपूर्ण एवं प्रलेखन केन्द्र की स्थापना करना ।
5. महिलाओं से संबंधित विषयों पर शोध हेतु प्रेरित करना एवं महत्वपूर्ण महिला शोधकर्ताओं की एक निर्देशिका तैयार करना ।
6. छात्राओं को प्रेरित करने एवं उनसे बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व को आमंत्रित करना ।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय स्टाॅफ सूची

प्राचार्य - डॉ. अरविन्द शर्मा

हिन्दी विभाग -

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) नंदिनी तिवारी | सहायक प्राध्यापक |
| 2. डॉ. (श्रीमती) परमजीत पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक |

अंग्रेजी विभाग -

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. सावित्री त्रिपाठी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. श्रावणी चक्रवर्ती | सहायक प्राध्यापक |
| 3. डॉ. (श्रीमती) प्रिया बजाज | सहायक प्राध्यापक |

संस्कृत विभाग -

रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग -

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) रंजना गुप्ता | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. सुनील कुमार शर्मा | सहायक प्राध्यापक |
| 3. डॉ. (श्रीमती) किरण एस. एक्का | सहायक प्राध्यापक |

इतिहास विभाग -

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) वीणा तिवारी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. ए. तिकी | सहायक प्राध्यापक |

राजनीति विभाग -

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) दीपशिखा शुक्ला | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. (कुमारी) वन्दना तिवारी | प्राध्यापक |
| 3. डॉ. (श्रीमती) पी.डी. मिरी | सहायक प्राध्यापक |

समाज शास्त्र विभाग -

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. के.के. अग्रवाल | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. (श्रीमती) निशी सिंह | सहायक प्राध्यापक |
| 3. डॉ. महेश पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक |

भूगोल विभाग -

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) मंजू पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. मनोज सिन्हा | सहायक प्राध्यापक |

वाणिज्य विभाग -

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. डॉ. सुधीर कुमार शर्मा | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष |
| 2. डॉ. के.के. भण्डारी | प्राध्यापक |
| 3. डॉ. जया अग्रवाल | सहायक प्राध्यापक |
| 4. डॉ. आर. के. पाण्डेय | सहायक प्राध्यापक |

विज्ञान संकाय -

1. गणित विभाग -
डॉ. आलोक वर्मा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2. वनस्पति शास्त्र -
डॉ. (श्रीमती) उषा शिवहरे प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
3. भौतिक शास्त्र -
डॉ. एम.एस. उपाध्याय सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
4. प्राणी शास्त्र विभाग -
1. डॉ. एल. पी. मिरी सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) रंजु गुप्ता सहायक प्राध्यापक
5. रसायन शास्त्र विभाग -
डॉ. आर.सी. टण्डन सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

क्रीडा विभाग -

1. श्री के. कैथवास क्रीडा अधिकारी

ग्रंथालय -

1. डॉ. (श्रीमती) सपना मुखर्जी ग्रंथपाल

कार्यालय प्रबंधन -

1. श्री के.एल. लोहाना रजिस्ट्रार
2. श्री आर.एस. कौशिक सहायक ग्रेड -1
3. कु. गीता सिंह सहायक ग्रेड - 2

प्रयोगशाला तकनीशियन -

1. डॉ. डी.पी. कर्ष प्रयोगशाला तकनीशियन
2. श्री आर.एस. ठाकुर प्रयोगशाला तकनीशियन
3. श्री एम.एल.पटेल प्रयोगशाला तकनीशियन
4. सुजाता जायसवाल प्रयोगशाला तकनीशियन

प्रयोगशाला परिचारक -

1. श्री सरजय भोसले प्रयोगशाला परिचारक
2. श्री अश्विनी शर्मा प्रयोगशाला परिचारक
3. श्री देवीदयाल साहू प्रयोगशाला परिचारक
4. श्री सोमेश्वर वर्मा प्रयोगशाला परिचारक

चतुर्थ श्रेणी -

1. श्री एल.पी. यादव भूत्य
2. श्री तीजराम ध्रुव चौकीदार
3. श्री लक्ष्मीनारायण अनुरागी भूत्य
4. श्री रामशंकर यादव बुक लिफ्टर

12. uA áqma/tam/yEÓaSy ÐnaÁau Áa Naçmac :
 ÐnaÁau yEÓaSy Sja qÁa Áaat, qma yrb yrb
13. i Ámt yÐna Sja Áaat ákytþ :
 i . i ÁuuÁa áSjuá mná ; ÁuuÁa Sja wxé :
 r. áw.áv. Sja Áaat ¥wþÁaat áSja Sjt áSj :
14. i áwÁSj Sj. ÁaÁa/áSj Zaám Sja áwWE/á -

SjÓaa	EÚaa/áeSyEÁçSj qáwEaÁa~þná i áE áwxu				áwÁa~þná tqE'þ áwxu ÐnaÁa	tà.áfaÓaa tþjv/áv.áv. Sja Áaat i áE 2þþ áceÁfaÓaa yÐnaÁa
	Eáç/Áab	wxé	qEáÓaaÁjv	ZaaÁmaSj		
10+2 NáUE ySj»þá						
rá.¥./rá.Sjat./ rá.¥y.yá. (Zant)						
rá.¥./rá.Sjat./ rá.¥y.yá. (áÓmau)						
rá.¥./rá.Sjat./ rá.¥y.yá. (máau)						
¥t.¥. qáwáe-é						
¥t. Sjat. qáwáe-é						

15. i Ámt qEáÓaa Sja tálut :
16. "ua áam 5 wxáftþ; áwÁSj Sja i ÁuuÁa Sjt kaEá :
 EÁna, uA ÁaÁnaMacSjaE/á ¥wþ; wáO Sja Ðqx'þ :
 EÁvþ áSjuá kauçñ
17. ÁaÁa/áSj qaÓÚSjt áamávauab hçSjÁ, ¥Áa. :
 yá.yá./¥Áa.¥y.¥y. i áaÁ áamávauab tþ; áwÁSj :
 ÓaEa EÁvþÁau EqvÓEuaþ ; áwÁSj SjçZaaÁm :
 2þwáÁa, qÁDSjaE ; áaÁ Sja qáwEawWE/áñ
18. "ua áam wxáftþ; áwÁSj Áaçy tÁnaawúavu tþ :
 áSjyá qaÓÚSjt tþZawþa Sj áv¥ ; áwÁÁa áSjuá ná :
 mnáEycZawþa ÁaÁnaÁua áauá, uA ÁnaçqáwEawWE/á Áaák¥ ñ
19. "ua i áwÁSj ywáEm NéuáÁ, NámaçawWE/á ÁSjE :
 áÁuaQja Sj. tÁnaawúavu ; ÁuuÁa Sj ávuçavaÁm :
 i Áaat am ylvÁa SjEþñ
20. i . áSjyá ÁaÁa/áSj, yaaÁvÁuSj áwOa tþUyáÑ Né :
 Áaa'þSj/Sjávma/SjÁnaÁa/áj QsSjvá/ ; Áu :
 r. yáDSjámSj áwOa-ÁaÁu, áaauÁa, wáÁa C3uáaÁ :
 y. SjçE; Áu Sjçáv kçç- tÁÁa, i ÁqÁa, áyvácE SjççC3uáaÁ :
 Á. áSjyá hç tþUyáÑ Né- :
 Áj'þáv/ÁaÁs/áSjSj'þ/Sjç»þþ/1þáy/roþtþÁa/raBSj'þraáv/¥nvá'þy/ ; Áu, kaçvaánaçEycáj QÁm Sjççñ

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं(छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/.....
शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की. उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षड्यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि -
(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।
(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक..... माह..... वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

कक्षा

मो.नं.

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती(माता-पिता/अभिभावक का नाम)
श्री/कु.(छात्र का पूरा नाम,
प्रवेश,पंजीयन/नामांकन सहित) शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली
2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कांडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कांडिका - 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि
मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो
उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -
 - (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कांडिका-3 के अंतर्गत
आता है।
 - (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कांडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की
श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध
उक्त नियमों की कांडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित
किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

फोन/मोबाइल नंबर.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य
है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)..... (दिन).....(माह)..... (वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर